भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 354

जिसका उत्तर मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में यूरिया की भारी कमी और उर्वरक की आपूर्ति

354. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू उर्वरक मौसम के दौरान यूरिया आपूर्ति में आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार कितनी कमी दर्ज की गई है;
(ख) गत छह माह के दौरान केन्द्र द्वारा किए गए आवंटन तथा आंध्र प्रदेश में यूरिया के भंडार और वितरण की स्थिति क्या है;
(ग) क्या इसकी कमी, राशनिंग या मूल्य संबंधी मुद्दों के संबंध में राज्य प्राधिकरणों या किसान संगठनों से शिकायतें या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) राज्य में यूरिया और अन्य उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान सभी राज्यों में यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में रबी 2025-26 के मौजूदा मौसम के दौरान यूरिया की मांग, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में रखी गई है।

आंध्र प्रदेश राज्य में वित्त वर्ष 2025 (जुलाई से दिसंबर) के दौरान यूरिया की मांग, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में माह-वार जानकारी निम्नानुसार है:

आंध्र प्रदेश

पिछले 6 महीनों के दौरान यूरिया उर्वरक की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र. सं.	माह	मांग	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	दिसंबर-25	1.91	4.20	2.41	1.79
2	नवंबर-25	1.44	3.09	1.13	1.96
3	अक्टूबर-25	1.61	2.85	1.15	1.70
4	सितंबर-25	1.55	3.12	1.91	1.21
5	अगस्त-25	1.65	2.99	1.98	1.01
6	जुलाई-25	1.30	3.99	1.86	2.13

उर्वरकों को आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यकत वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी/अधिक मूल्य निर्धारण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उर्वरकों की कालाबाजारी/अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में उर्वरक विभाग (डीओएफ) स्तर पर प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

तथापि, पिछले छह महीनों के दौरान सीपीग्राम्स पोर्टल, जो एक शिकायत निवारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, के माध्यम से उर्वरक विभाग में पांच शिकायतें प्राप्त हुईं जो आंध्र प्रदेश राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता और कालाबाजारी/अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में है। इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था क्योंकि राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे मांगपत्रों को समय पर भेजकर आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

v. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

****

यह अनुलग्नक दिनांक 03.02.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 354 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित है।

यूरिया

रबी 2025-26 (27.01.26 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	रबी 2025-26 के लिए मौसमी आवश्यकता	01 / 10 / 25 से 27 /01 /26 तक आनुपातिक आवश्यकता	01 / 10 / 25 से 27 / 01 / 26 तक उपलब्धता	01 / 10 / 25 से 27 / 01 / 26 तक संचयी डीबीटी बिक्री	27 / 01/ 26 तक अंतिम स्टॉक
1	अण्डमान और निकोबार	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
2	**आंध्र प्रदेश**	**9.38**	**6.52**	**8.11**	**6.69**	**1.42**
3	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	1.12	1.63	1.29	0.33
5	बिहार	13.50	10.47	11.99	10.17	1.81
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	2.88	2.57	2.81	1.32	1.48
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.41	0.11	0.11	0.08	0.03
11	गोवा	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00
12	गुजरात	13.90	10.88	12.12	10.66	1.47
13	हरियाणा	11.60	9.87	11.87	10.11	1.76
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.28	0.47	0.30	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	0.25	0.63	0.41	0.41
16	झारखंड	1.20	0.87	1.25	0.81	0.45
17	कर्नाटक	7.60	4.90	7.46	4.44	3.03
18	केरल	0.62	0.49	0.53	0.39	0.14
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	22.31	23.90	21.79	2.12
21	महाराष्ट्र	11.25	7.80	11.63	7.79	3.84
22	मणिपुर	0.09	0.06	0.07	0.04	0.02
23	मेघालय	0.41	0.00	0.41	0.41	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41
25	नागालैंड	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	0.98	2.16	0.80	1.36
27	पुद्दुचेरी	0.08	0.06	0.06	0.05	0.41
28	पंजाब	15.00	12.81	15.68	12.43	3.24
29	राजस्थान	15.00	13.58	16.84	15.39	1.46
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	4.80	5.88	4.58	1.31
32	तेलंगाना	10.40	6.99	7.89	6.62	1.27
33	त्रिपुरा	0.41	0.05	0.41	0.04	0.06
34	उत्तराखंड	1.01	0.70	0.96	0.80	0.04
35	उत्तर प्रदेश	40.00	31.71	39.48	32.13	7.35
36	पश्चिम बंगाल	8.20	5.52	8.46	5.35	3.10
अखिल भारत		**196.06**	**155.73**	**192.11**	**154.40**	**37.92**

स्रोत: आईएफएमएस डैशबोर्ड